तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 15/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म पीतामिल में जारी हुए
22.9.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित। प्रतिवादी अनिल पंवार पुत्र आईदान जी पंवार, जाति– सेन, निवासी– देवी भवन, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सरोवर रेस्टोरेन्ट, (आर.टी.डी.सी)., नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित।	

आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अनिल पंवार के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.6.2021 को फर्म सरोवर रेस्टोरेन्ट, (आर.टी.डी.सी)., नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी खाद्यकारोबारकर्ता अनिल पंवार पुत्र आईदान जी पंवार, जाति– सेन, निवासी– देवी भवन, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चॉकलेट फलेवर) का नमूना संख्या S-1436 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./391/Act/2021/489 दिनांक 09.7.2021 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अनिल पंवार को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह चौहान उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रकरण में प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह चौहान की दिनांक 13.9.2022 को बहस सुनी गई। जिन्होनें बहस के दौरान प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी सरोवर रेस्टोरेन्ट के नाम से नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू में व्यवसाय करता है तथा अपने दुकान में विभिन्न कम्पनीयों की आईसक्रीम मंगवाकर बेचता है। प्रतिवादी अभियुक्त द्वारा आईसक्रीम में किसी प्रकार की कोई मिलावट नही की गई। मूल कम्पनी पैक अवस्था में क्रय कर आईसक्रीम को उसी अवस्था में रेस्टोरेन्ट में बेचता है। प्रतिवादी की दुकान से जो नमूना लिया गया वह सब स्टेण्डर्ड पाया गया है जिसमें प्रतिवादी की कोई गलती नही है क्योंकि आईसक्रीम जो उसकी दुकान में था वह कम्पनी से खरीद किया हुआ था। प्रतिवादी गरीब व्यक्ति है जो नक्की लेक के पास छोटा सा रेस्टोरेन्ट चला कर अपना जीविकोपार्जन करता है। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद को खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:33 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया तथा न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 26.6.2021 को समय 2.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म सरोवर रेस्टोरेन्ट

.....लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 15/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	(आर.टी.डी.सी.), नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी अनिल पंवार पुत्र आईदान जी पंवार, जाति– सेन, निवासी– देवी भवन, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चॉकलेट फलेवर) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चॉकलेट फलेवर) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता अनिल पंवार को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रेस्टोरेन्ट में आईसक्रीम (चॉकलेट फलेवर) मशीन में बिक्री हेतु मौजूद आईसक्रीम (चॉकलेट फलेवर) लगभग 3 लीटर को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एक रुप की गई आईसक्रीम (चॉकलेट फलेवर) में से 1200 ग्राम आईसक्रीम (चॉकलेट फलेवर) को जांच हेतु एक साफ, सूखे, खाली भिगोने में खरीदा एवं खरीदशुदा आईसक्रीम (चॉकलेट फलेवर) की कीमत राशि रुपये 400/– (अक्षरे रुपये चार सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता अनिल पंवार को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादी खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाह को चार साफ, सूखे, खाली प्लास्टिक के जार दिखाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1436, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चॉकलेट फलेवर) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आईसक्रीम (चॉकलेट फलेवर) को चारो प्लास्टिक जारों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक जार में 24–24 बूंदे डालकर चारों जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक चारों नमूना जारों पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1436 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार कर उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां लिफाफो में अलग–अलग ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:33 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 15/2022	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.6.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 26.6.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सरोवर रेस्टोरेन्ट (आर. टी.डीस.सी.), नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में प्रतिवादी खाद्यकारोबारकर्ता अनिल पंवार पुत्र आईदान जी पंवार, जाति– सेनी, निवासी– देवी भवन, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चॉकलेट फलेवर) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चॉकलेट फलेवर) के नमूना संख्या S-1436 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./391/Act/2021/489 दिनांक 09.7.2021 अनुसार खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चॉकलेट फलेवर) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी खाद्यकारोबारकर्ता अनिल पंवार पुत्र आईदान जी पंवार, जाति– सेनी, निवासी– देवी भवन, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सरोवर रेस्टोरेन्ट (आर.टी.डी.सी.), नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (चॉकलेट फलेवर) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी अनिल पंवार पुत्र आईदान जी पंवार, जाति– सेन, निवासी– देवी भवन, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सरोवर रेस्टोरेन्ट, (आर. टी.डी.सी)., नक्की लेक के पास, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी अनिल पंवार को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के नाम Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 01.11.2022 को पेश हो।

(के.आर.खौड़)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.11.17 16:54:33 IST
Reason: SelfAttested